

342
31/03/23

(2)

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री विवेक अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार, निवासी गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जसवावाला ज०मु०, परगना रुड़की, तहसील व जिला हरिद्वार चक सं०-228 के गाटा नं०-1/16 रकबई 0.382 व 1/17 रकबई 0.070, 1/27 रकबई 0.174 व 1/28 रकबई 0.272 व 1/25 रकबई 0.030 व 1/29 रकबई 0.050 हे० कुल 6 किते रकबई 0.978 हे० यानि 9780 वर्ग मीटर भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ/आबादी निर्माण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आबादी निर्माण के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे। यह आदेश 60 दिन तक प्रभावी समझा जायेगा। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।
दिनांक:- 31/03/23

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
हरिद्वार स्थान रुड़की।

श्रीमान जी

चक सं० 228 प० अमलदरामद

किता

01/04/23

V.O.

01/04/23
ACD

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

05/04/23

पेरी कानूनगो

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
हरिद्वार स्थान रुड़की

प्रार्थना पत्र की संख्या व दिनांक... 088/01/4-23
मुकब तैयारी का दिनांक... 03/04/23
नोटिस बोर्ड पर चप्पा करने का दिनांक... 03/04/23
टिकटो का मूल्य... ₹ 20
अनुमानित खर्च... ₹ 0.09 लाख 23
वितरण करने का दिनांक... 03/04/23
वितरण करने वाले के हस्ताक्षर...